रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 726] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2019/अग्रहायण 27, 1941

No. 726] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019/ AGRAHAYANA 27, 1941

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर 2019

सा.का.नि. 933(अ).—केन्द्रीय सरकार, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतत्द्वारा पासपोर्ट नियम, 1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 की, अनुसूची III में, "अनुच्छेद IV- **आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज**" के अधीन (i) पैरा (ग) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) तत्काल योजना के अधीन पासपोर्ट

(क) यदि 18 वर्ष और इससे अधिक आयु का कोई आवेदक तत्काल योजना के अधीन पासपोर्ट प्राप्त करना चाहता है तो वह, निम्नलिखित में से कोई तीन दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-

i. आधार कार्ड या 12 अंकों की आधार संख्या युक्त ई. आधार या भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) द्वारा जारी नामांकन पर्ची पर छपी 28 अंकों की आधार नामांकन आई डी

ii. मतदाता फोटो पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी.)

iii. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड

iv. चालन अनुज्ञप्ति (वैध हो और आवेदन जमा किए जाने वाले राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो)

v. बैंक या किसान या डाकघर पासबुक

vi. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी विद्यार्थी फोटो पहचान पत्र;

vii. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के अधीन जारी जन्म प्रमाण पत्र;

viii. राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार, पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र

ix. सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिक की विधवा को जारी पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन पुस्तिका या पेंशन भुगतान आदेश, आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश

x. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र

xi. शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के अधीन जारी हथियार लाइसेंस

xii. राशन कार्ड ; तथा

xiii. जारी किया गया अंतिम पासपोर्ट [पुनर्जारी करने के मामले में ही]

(ख) यदि 18 वर्ष से कम आयु का आवेदक तत्काल योजना के अधीन पासपोर्ट प्राप्त करना चाहता है तो वह, निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-

i. आधार कार्ड या 12 अंकों की आधार संख्या युक्त ई. आधार या भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) द्वारा जारी नामांकन पर्ची पर छपी 28 अंकों की आधार नामांकन आई डी;

ii. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड;

iii. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी विद्यार्थी फोटो पहचान पत्र;

iv. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के अधीन जारी जन्म प्रमाण पत्र;

v. राशन कार्ड ; तथा

vi. जारी किया गया अंतिम पासपोर्ट [पुनर्जारी करने के मामले में ही]।

(ग) आवेदक तत्काल योजना के अधीन पासपोर्ट जारी करने के लिए विहित शुल्क के अतिरिक्त रु. 2000/- (दो हजार रुपये केवल) का तत्काल शुल्क संबंधित पासपोर्ट प्राधिकारी को उप पैरा (क) या (ख) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों, जैसा मामला हो, के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(घ) तत्काल योजना के अधीन पासपोर्ट जारी करने के लिए तात्कालिकता संबंधी के किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है;

(ङ) तत्काल योजना के अधीन पासपोर्ट जारी करने के मामलों में पुलिस सत्यापन पासपोर्ट जारी करने के बाद किया जाएगा।

(च) ऐसे मामलों में, जहाँ आवेदक ने तत्काल शुल्क का भुगतान किया है और उप-पैरा (क) या (ख) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को, जैसा मामला हो, प्रस्तुत किया है, आवेदन जमा किए जाने की तारीख से तीन कार्यदिवसों के भीतर पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।

(ii) पैरा '(घ)' का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. VI/401/1/4/2013]

अरुण कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (पी.एस.पी.) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी (सीपीओ)

टिप्पणी: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 691(अ) के द्वारा तारीख 11 दिसंबर, 1980 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 1117(अ), तारीख 15 नवंबर, 2018 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2019

G.S.R. 933(E).— In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Passports Rules, 1980, in Schedule III, under the heading "Section IV-DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION",-

(i) for paragraph (C), the following paragraph shall be substituted, namely:-

"(C) PASSPORT UNDER TATKAAL SCHEME

(a) If an applicant of the age of 18 years and above desires to obtain passport under Tatkaal Scheme, he shall submit any three of the following documents, namely:-

(i) Aadhaar Card or e-Aadhaar containing the 12 digit Aadhaar number or 28-digit Aadhaar enrolment ID printed on the Aadhaar enrolment slip issued by the Unique Identification Authority of India (UIDAI);

(ii) Electors Photo Identify Card (EPIC);

(iii) Permanent Account Number (PAN);

(iv) driving licence (valid and within the jurisdiction of State of submission of applicant);

(v) bank passbook or kisan passbook or post office passbook;

(vi) student photo identity card issued by a recognised educational institution;

(vii) birth certificate issued under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969);

(viii) service photo identity card issued by State Government or Central Government, public sector undertakings, local bodies or public limited companies;

(ix) pension document such as ex-servicemen's pension book or pension payment order issued to retired Government employees, ex-servicemen's widow or dependent certificate, old age pension order;

(x) scheduled caste or scheduled tribe or other backward class certificate;

(xi) arms licence issued under the Arms Act, 1959 (54 of 1959);

(xii) ration card; and

(xiii) last passport issued (in case of reissue only)

(b) If an applicant below the age of 18 years desires to obtain passport under the Tatkaal Scheme, he shall submit any two of the following documents, namely:-

(i) Aadhaar Card or e-Aadhaar containing the 12 digit Aadhaar number or 28-digit Aadhaar enrolment ID printed on the Aadhaar enrolment slip issued by the Unique Identification Authority of India (UIDAI);

(ii) Permanent Account Number (PAN);

(iii) student photo identity card issued by a recognised educational institution;

(iv) birth certificate issued under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969);

(v) ration card; and

(vi) last passport issued (in case of reissue only)

(c) applicant seeking a passport under Tatkaal scheme shall submit his application along with documents specified in sub-paragraphs (a) or (b), as the case may be, with Tatkaal fee of Rs. 2000/- (Rupees Two thousand only) in addition to the prescribed fee for issuance of passport to the concerned passport authority;

(d) proof of urgency is not required for issue of passport under Tatkaal scheme;

(e) post police verification shall be done in cases where passport is issued under Tatkaal scheme.

(f) in cases where the applicant has paid Tatkaal fee and submitted documents specified in sub-paragraphs (a) or (b), as the case may be, the passport shall be issued within three working days from the date of submission of application.";

(ii) paragraph 'D' shall be omitted.

[F. No. VI/401/1/4/2013]

ARUN KUMAR CHATTERJEE, Jt. Secy. (PSP) and Chief Passport Officer (CPO)

Note : The Principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 691(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 11th December, 1980 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 1117 (E), dated the 15th November, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA